

**NGT/CZB/2021/  
National Green Tribunal  
Central Zonal Bench,  
III<sup>rd</sup> Floor, State Information Commission Building  
Arera Hills, Bhopal – 462011**

The following public complaints received from different persons /organisations during the month of February, 2022 are found to be not in conformity with NGT (Practice and Proceedings) Rule, 2011 framed under NGT Act, 2010. Hence, in light of Circular/Order No. NGT(PB)/Judicial-II/196/70 dated 03.02.2016 no judicial proceeding can be initiated in respect of such public complaints. These Complainants/Applicant/Aggrieved persons are at liberty to file Petition/Application in prescribed format, along with prescribed court fees for initiation of judicial proceeding. The complainants have been informed accordingly. The above referred Act, Rules and the User Manual for e-filing is also available on the website of NGT (<https://greentribunal.gov.in/>).

In case any further clarification is required, with regard to filing, assistance may be sought from the Help Desk of Filing Section of “National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal” at 0755-2579745 during the working hours (9:30 to 5:00PM).

Sr. No.	Inward Diary No.	Date	Name and Address	Subject
1.	-	-	कांतिलाल राठौर (अधिवक्ता) अध्यक्ष तेलिया तालाब बचाओ समिति, साहू तैलिक समाज, सन्दसौर, 31, नया पुश मार्ग, मन्दसौर (म.प्र.)	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य बेंच नई दिल्ली ओ.ए.क्र.100/2015 में पारित आदेश दिनांक 17-02-2016 एवं प्र.क्र.17/2018 दिनांक 21-01-2020 में Respondent No.2 & 3 के द्वारा भ्रामक जानकारी दिए जाने/मूल नक्शे के स्थान पर प्रस्तावित नक्शे पेश किये जाने, के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाबत।
2.	45	01.02.22	मेघसिंह पुत्र भंवर सिंह पूगल रोड हनुमान ग्राम रणधीसर, तहस. सुजानगढ़ जिला- चूरू, राजस्थान	अवैध खनन से शेष अवशेष बची रणीचरसर पहाड़ी के बचाव व बन्द के संबंध में।
3.	64	09.02.22	राम पुत्र ओम प्रकाश बिजारनिया निवासी- एम.एन., फेफाना, तहसील- नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान	अवैध फेक्ट्री जो की 1 जे.एस.एन. ग्राम फेफाना, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में अवैध रूप से टायर जलाने की फेक्ट्री से जहरीला प्रदूषण तुरंत बंद करवाए जाने हेतु।
4.	69	14.02.22	जुनैद खान जिला बालाघाट, न. तिरोड़ी, वार्ड न. 18 पिन 481449	मॉयल लिमिटेड तिरोड़ी द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित कर जंग लवन को नष्ट किये जाने विषयक।
5.	73	14.02.22	व्ही.के.तिवारी- ई-मेल दिनांक 14.02. 2022	Complaint against a Stone Crusher operating illegally without renewal of licence and without following any guidelines/order issued by Hon'ble Supreme Court PCB, NGT or mining department.
6.	75	14.02.22	अतुल कुमार पाठक - ई-मेल दिनांक 12.02.2022	मध्यप्रदेश सिंगरौली जिले के देवसर विकास खंड अंतर्गत रेत माफिया आर.के.टी. कम्पनी के द्वारा कारी मनोना एवं जंकुआर खदानों में एक

Sr. No.	Inward Diary No.	Date	Name and Address	Subject
				दर्जन से ज्यादा पीसी पोकलेन मशीन लगाकर निर्धारित रखने के बार पानी के 25 फीट नीचे तक की रेत राजस्थानी एवं जिला प्रशासन की मदद से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन जारी महान नदी सूखने की कगार पर जलीय जीव जंतु नष्ट हो चुके गांव का वाटर लेवल नीचे जाता हुआ।
7.	78	15.02.22	मेसर्स नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा0 लि0 पोस्टल एफ-137, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर - 334006	पर्यावरण स्वीकृति संख्या - 978 दिनांक 11.04.2017 को निरस्त करने के संदर्भ में।
8.	85	17.02.22	अमित सिंह बघेल, निवासी- ग्राम बचवई तहसल रघुराजनगर जिला- सतना म.प्र.	ग्राम रेवरा ग्राम पंचायत बचवई तहसील रघुराजनगर जिला- सतना म.प्र. में संचालित केसर स्टार स्टोन क्रेशर द्वारा की जा रही पर्यावरणीय क्षति के संबंध में।
9.	86	17.02.22	कपिल - ई-मेल दिनांक 17.02.2022	निवाड़ी नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा नगर के सार्वजनिक स्थानों के कचरे को उसी स्थान पर जलाया जाता है, जिससे ए.क्यू.आई. की गम्भीर स्थिति हो गई है।
10.	89	21.02.22	लक्ष्मण केल्वे, म.नं. एम-52 पुराने टयुबवेल के पास मुकेश उस्ताद के घर राम नगर जसवाड़ी रोड, खंडवा, म.प्र.	खंडवा जिले की ग्राम देशगांव की शासकीय भूमि खसरा नंबर 1189, 1190 एवं 1214 एवं 1191.1192.1193 एवं 1194 पर खंडवा पंधाना एवं मांधाता के विधायकगणों द्वारा माननीय एन. जी.टी. न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर कुट रचित दस्तावेजों के आधार पर ली गई उत्खनीत पट्टा स्वीकृति एवं गिट्टी क्रेशर मशीन संचालन की स्वीकृति एवं अवैध उत्खनन की, की गई शिकायत की जांच के अनुसार पाये गये अवैध उत्खनन पर शासन के नियमानुसार 30 गुणा राशि वसुलने एवं संबंधित विभाग के दोषी अधिकारियों पर न्यायालयीन दण्डात्मक कार्यवाही करने विषेयक।
11.	90	21.02.22	लक्ष्मण केल्वे, म.नं. एम-52 पुराने टयुबवेल के पास मुकेश उस्ताद के घर राम नगर जसवाड़ी रोड, खंडवा, म.प्र.	खंडवा जिले की ग्राम कुण्डेश्वर की शासकीय भूमि खसरा नंबर 56 एवं 104 पर खंडवा पंधाना एवं मांधाता के विधायकगणों द्वारा ई.वी.एम भवन गोडउन एवं स्व. विधायक हुकुमचंद यादव नवीन आदर्श महाविद्यालय से मात्र 75 मीटर की दूरी एवं नीलाम होने वाले उत्खनीत पट्टे को खनिज विभाग के अधिकारियों से सांठ गांठ कर कुट रचित दस्तावेजों के आधार पर ली गई उत्खनीत पट्टा स्वीकृति एवं गिट्टी क्रेशर मशीन संचालन की स्वीकृति एवं अवैध उत्खनन की, की गई शिकायत की जांच के अनुसार पाये गये अवैध उत्खनन पर शासन के नियमानुसार 30 गुणा राशि वसुलने एवं संबंधित विभाग के दोषी अधिकारियों पर न्यायालयीन दण्डात्मक कार्यवाही करने विषेयक।
12.	91	21.02.22	लक्ष्मण केल्वे, म.नं. एम-52 पुराने टयुबवेल के पास मुकेश उस्ताद के घर राम नगर जसवाड़ी रोड, खंडवा, म.प्र.	खंडवा पंधाना एवं मांधाता के विधायकगणों द्वारा की गई शिकायत की जांच के अनुसार खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा की ग्राम रामपुरी रैयत की शासकीय एवं नीजी भूमि खसरा नंबर 76, 75/4, 75/5 एवं 197/2 पर नियम